बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या : लो०सू०को० (परि०)–01/2017 **पटना, दिनांक ....**

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप निदेशक (क्रय एवं परि०)–सह–लो०सू०पदा०,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
बिहार राज्य पथ विकास निगम, बिहार, पटना।
लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना।
सभी लोक सूचना पदाधिकारी/सभी प्रथम अपीलीय प्राधिकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार (रा०उ०प०सहित)।

विषय : **राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में दायर वाद संख्या–ए–7489/2018 श्री ओम शंकर सिन्हा बनाम् प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बछवाड़ा, बेगूसराय में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग : सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–7438 दिनांक–31.05.2019 एवं राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना का ज्ञापांक–970 दिनांक–14.05.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि दिनांक–03.05.2019 को वाद सं०–A7489/2018 श्री ओम शंकर सिन्हा बनाम् प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बछवाड़ा, बेगूसराय में पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/–

(शैलेन्द्र कुमार)

ज्ञापांक– **लो०सू०को० (परि०)–01/2017** 4689 (E) we पटना, दिनांक– 21/6/19

प्रतिलिपि – I.T Manager, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति अनुलग्नक सहित विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

14.6.19

(शैलेन्द्र कुमार)

D:\RAKESH-2019\Avinash Sir\SUCHNA KA ADHIKAR FILE\Suchanna Ka Adhikar-Letter.rtf

पत्रांक–21/रा॰सू॰आ॰–02/2019,सा॰प्र॰ 7438 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/
सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 31-5-19

विषयः– राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना में दायर वाद संख्या–ए–7489/2018 श्री ओम शंकर सिन्हा बनाम् प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बछवाड़ा, बेगूसराय में पारित आदेश के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित वाद में राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–03.05.2019 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि पारित आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों को भेजते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

अनु॰:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

31.5.19
(शिवमहादेव प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या
पंजीयन सं॰– 159608
दिनांक– 10/06/2019

पंजीयन सं॰– 5195
10 JUN 2019
बिहार, पटना

M B V. FEBRUARY

राज्य सूचना आयोग
चौथा तल्ला, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना।
दूरभाष–2215713, 2235059, 2200412, 2200426 फैक्स–2235466

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
16 MAY 2019
5112 (1)

वाद सं०–A 7489/2018
श्री ओम शंकर सिन्हा
बनाम्
प्रथम अपीलीय प्राधिकार–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा, बेगूसराय/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बछवाड़ा, बेगूसराय

16 MAY 2019

03.05.19 अपीलार्थी उपस्थित। श्री सुरज कान्त, अंचल अधिकारी, बछवाड़ा, बेगूसराय–सह–लोक सूचना पदाधिकारी उपस्थित तथा उनके द्वारा बताया गया कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना बीस वर्ष ज्यादा पुरानी होने के वजह से धारा 8 सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत देय नहीं है।

आवेदक ने प्रपत्र–क में दाखिल खारिज वाद सं0 786/82–83 के सम्पूर्ण अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रति सूचना के रूप में मांगी है। लोक सूचना पदाधिकारी की आपत्ति धारा 8(3) सूचना का अधिकार अधिनियम की गलत व्याख्या पर आधारित है। **धारा 8(3) के अनुसार यदि कोई सूचना धारा 8(1) सूचना का अधिकार अधिनियम के किसी उपखण्ड के अन्तर्गत अदेय हो तो बीस वर्षो के उपरान्त उक्त सूचना (उपखण्ड क,ग एवं झ के अन्तर्गत अदेय सूचनाओं को छोड़कर) उपलब्ध करायी जायेगी।**

इस वाद में मांगी गयी सूचना धारा 8(1) के उपखण्ड 'क' ग' या झ के अन्तर्गत नहीं आता है अतएव देय है।

तदनुसार लोक सूचना पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि आवेदक को वांछित सूचना प्रदान करते हुए अगली तिथि को प्रतिवेदन दें।

वाद की अगली सुनवाई की तिथि 10.07.19 को अप0 2.30 बजे निर्धारित की जाती है।

इस आदेश की प्रति प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार सरकार को इस आशय से प्रेषित कि धारा 8(3) सूचना का अधिकार अधिनियम के सम्यक् व्याख्या से सभी लोक सूचना पदाधिकारियों को अवगत करायें।"

ह०/–
(ओम प्रकाश)
राज्य सूचना आयुक्त

ज्ञापांक : 970 /रा०सू०आ०   पटना, दिनांक– 14/5/ 2019
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/लोक सूचना पदाधिकारी–सह–अंचलाधिकारी, बछवाड़ा, बेगूसराय/श्री ओम शंकर सिन्हा, पिता–स्व० हरिमोहन प्रसाद सिन्हा, ग्राम–गणपतौल, पो०+थाना+अंचल–मंसूरचक, जिला–बेगूसराय–851128 को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राम बालक ठाकुर)
प्रधान आप्त सचिव

09-05-2019
787 20/05/19